



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-257

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 182839 दिनांक 23/07/2024 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	KHEM CHAND MEENA S/o LATE RAM LAL MEENA एवं GANESH KUMAR MEENA S/o LATE RAM LAL MEENA	श्री रामलाल मीना पुत्र श्री नारायण मीना	18	183.33 SQ. YARD	Private	SHREE NARSINGH SAROVAR Sector/Block-	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta)	निजी खातेदारी योजना श्री नृसिंह सरोवर के भूखण्ड संख्या 18 की लीजडीड हेतु श्री खेमचंद मीना एवं गणेश प्रकाश मीना पुत्रान स्व. श्री रामलाल मीना द्वारा आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का आवंटन निजी खातेदार द्वारा श्री रामलाल मीना पुत्र श्री नारायण मीना को किया गया था। श्री रामलाल मीना की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र श्री खेम चन्द मीणा एवं श्री गणेश कुमार मीणा के पक्ष में दिनांक 09.07.2024 को निष्पादित किया गया है। प्रकरण फ्री-होल्ड पट्टे हेतु आवेदित है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. KHEM CHAND MEENA S/o LATE RAM LAL MEENA एवं GANESH KUMAR MEENA S/o LATE RAM LAL MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

द्वैतकृत पत्रावली।

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |